न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 92 / 23

प्रार्थी :– ओमाराम पुत्र श्री गंगाराम जाति साद निवासी सिमरखिया, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री भूपेन्द्र गहलोत :– प्रार्थी अधिवक्ता
2 सरकारी पैरोकार :– विप्रार्थी

आदेश दिनांक :–31.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है , कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 486 रकबा 1.0198 हैक्टेयर ग्राम बागावास पटवार क्षेत्र बागावास, तहसील पचपदरा मे अवस्थित है । उक्त खेत व सडक के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 487 रकबा 0.1295 हैक्टेयर भूमि आई हुए है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता पडता है । लेकिन रेकर्ड मे कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थी को सडक तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है । अतः प्रार्थी ने खेत खसरा संख्या 486 रकबा 1.0198 हैक्टेयर ग्राम बागावास पटवार क्षेत्र बागावास, भूमि में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप मे प्रयुक्त की रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी का नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ । विप्रार्थी का जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विवादित भूमि को मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 486 रकबा 1.0198 हैक्टेयर ग्राम बागावास पटवार क्षेत्र बागावास, तहसील पचपदरा मे अवस्थित है । उक्त खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 487 रकबा 0.1295 हैक्टेयर भूमि आई हुए है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गु[illegible] रेकर्ड मे रास्ता कटाण नहीं होने के कारण [illegible] रहती है, इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना प[illegible] है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है, तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है । अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच की गई, और अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष मे रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे । प्रार्थी रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से ही सहमत है ।

विप्रार्थी की ओर से राज. पैरोकार (एन.टी) द्वारा अपनी बहस मे तर्क दिये गये कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमे पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 486 रकबा 1.0198 हैक्टेयर ग्राम बागावास पटवार क्षेत्र बागावास, से होकर मुख्य सडक पर पंहुचने के लिए बीच खसरा संख्या 487 रकबा 0.1295 है[illegible] होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया जिसमे तहसीलदार पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आ[illegible] के द्वारा तलब की गई । तहसीलदार पचपदरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

मे मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 के द्वारा पेश की गई। जिसमे स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 486 रकबा 1.0198 हैक्टेयर से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए आवागमन हेतु उपयुक्त भूमि खसरा संख्या मे से प्रस्तावित है, जो अन्तिम विकल्प रास्ता है, जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रस्सावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है । उक्त भूमि आवागमन हेतु निकट और उपयुक्त भूमि रास्ते खसरा संख्या 487 किस्म गै. मु. प्याउ में से प्रस्तावित किया गया हैं जो खसरा संख्या 501 गै.मु. सडक से लगता हुआ है। जो निकटतम एवं उपयुक्त है । उक्त प्रस्तावित का रकबा 0.04 बीघा अर्थात 4 विस्वा भूमि बन रहा है जिसकी वर्तमान में डी.एल.सी.दर राशि 24710/– प्रति बीघा है। नियमानुसार रास्ते मे प्रभावित भूमि के खातेदार को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है । इस प्रकार खसरा संख्या 487 रकबा 0.1295 हैक्टेयर मे से प्रस्तावित रकबा 0.04 बीघा अर्थात 4 विस्वा की राशि 24710/– प्रति बीघा है, जिसमे से रास्ते हेतु दुगनी राशि रूपये 9,884/– देय होते है, जो विप्रार्थी को राशि दी जानी प्रस्तवित है ।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार है। प्रार्थी उक्त की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है । उपरोक्त विवेचन उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम बागावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 487 रकबा 0.1295 हैक्टेयर में से प्रस्तावित रकबा 0.04 बीघा अर्थात 4 बिस्वा की राशि 24710/- प्रति बीघा है, जिसमें से रास्ते हेतु दुगनी राशि रूपये 9,884/- अक्षरे नौ हजार आठ सौ चौरासी मात्र भुगतान करते हुए तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में ए बी की लाल रंग सीमा दर्शाये अनुसार सीधा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा निप्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में जमा कराने बाद राशि जमा करवाने बाद राशि जमा कराने पर तहसीलदार पचपदरा को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:25 IST
Reason: SelfAttested